



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 69 वीं बोर्ड बैठक
दिनांक – 27.05.2006
का कार्यवृत्त

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001
फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506
वेबसाइट:- Mdda-online.com ई-मेल:-mdda@sancharnet.in



69 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2006

आज दिनांक 27.05.2006 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति है:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. श्री पी०सी०शर्मा, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 3. श्री सुब्रत विश्वास, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
| 4. श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 5. श्री पुनीत कंसल, जिलाधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 6. श्री के०सी०जुयाल, अपर मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 7. श्री आर०एन०वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम, देहरादून | सदस्य |
| 8. श्री बृज बी०रतन, मुख्य सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल | सदस्य |

d.



उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बोर्ड बैठक दिनांक 21.1.06/24.1.06 व दिनांक 3.4.06 की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी।

विषय क्रमांक:1 प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित बजट।

अवस्थापना मद से होने वाली आय को बढ़ाये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाये, इस निर्देश के साथ वर्ष 2006-07 हेतु प्रस्तावित बजट को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 2 :- देहरादून महायोजना 2005 -2025 को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महायोजना के अन्तर्गत चल रही सुनवाई को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। अन्य बिन्दुओं पर सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

विषय क्रमांक 3 :- देहरादून शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु शासन से अनुदान प्राप्त करने एवं उसका सीधा भुगतान पेयजल निगम को कराये जाने की संस्तुति बोर्ड द्वारा की जाती है। इस निर्णय से शासन को अवगत करा दिया जाये।

विषय क्रमांक 4:- IL&FS द्वारा ग्रेटरदून योजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

IL&FS के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रेटर दून योजना को संयुक्त रूप से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ग्रेटर दून योजना एक वृहद योजना है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इसके क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ऐसी स्थिति में IL&FS



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं शासन संयुक्त रूप से SPV कम्पनी का गठन करें। यह कम्पनी ग्रेटर दून योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम रूप से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण व शासन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा हडको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गये वित्तीय ऋण को चुकाने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त प्रयोग के रूप में SPV कम्पनी बनाकर योजना तैयार की जाये जिसमें ट्रान्सपोर्टनगर योजना के अर्न्तगत आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर विभिन्न वर्गों के भवन एवं आई0एस0बी0टी0 के साथ 8 एकड भूमि पर हैबिटेड सेन्टर बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाये इससे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं IL&FS को भविष्य में ग्रेटर दून जैसी बड़ी योजना हेतु SPV बनाये जाने में आसानी होगी।

विषय क्रमांक 5:- प्राधिकरण की आवासीय योजना सहस्त्रधारा एन्कलेव के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सहस्त्रधारा आवासीय योजना के अर्न्तगत सहस्त्रधारा एन्कलेव के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों के स्थान पर चार डुप्लैक्स भवनों का निर्माण करा लिया जाये।

विषय क्रमांक 6 :- ट्रान्सपोर्ट नगर में इन्टीग्रेटेड कामर्शियल कौमपलैक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर में इन्टीग्रेटेड कामर्शियल काम्पलैक्स बनाये जाने हेतु भूखण्ड टेण्डर-सहनिलामी के आधार पर औक्शन किया जाये।

विषय क्रमांक 7 :- दून माल योजना में नये कन्सलटेन्ट/आर्किटेक्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस पर जिले धनराशि व्यय हो रही है उस सीमा तक का स्वीकृति देने का अधिकार उपाध्यक्ष को है। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्णय लें।

यह भी निर्णय लिया गया कि

में सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखने के लिए एक समिति बनायी जाये जिसमें उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून एवं मुख्य नगर नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग सदस्य होंगे । समिति द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु टैफिक, पार्किंग, प्लानिंग आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना की रूपरेखा तैयार करेगी।

विषय क्रमांक 8 :- अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत अवैध रूप से निर्मित अनाधिकृत कालोनियों को विकसित किये जाने हेतु क्रमांक 07 पर अंकित बिन्दु को हटाते हुए प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को क्रियान्वयन हेतु भेजा जाये।

विषय क्रमांक 9 :- दूनघाटी कर्मचारी सहकारी आवासीय समिति अजबपुर कलां द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या- 46/89 के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो धनराशि दूनघाटी कर्मचारी सहकारी आवासीय समिति अजबपुर कलां द्वारा जमा नहीं करायी गयी है उसे ब्याज सहित भू-राजस्व के माध्यम से वसूला जाये एवं उपविधियों के अनुसार कार्य न करने के कारण इनपर कम्पोजीशन फीस लगाते हुए सभी भूखण्ड धारकों से ग्रह धनराशि वसूल की जाये।

Handwritten note: मरणाधिकृत भूखण्डों में

विषय क्रमांक 10 :- भूमि खसरा नम्बर 45, 46, 49 क, 49 ख, 50, 51, 52, 53, 57, 58 ग्राम कल्हान मानसिंह में सौराँन लाइब्रेरी सैन्टर तिब्बतियन एण्ड हिमालयन स्टडीज द्वारा स्कूल भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सहमति प्रकट करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक 11 :- खसरा नम्बर 119 एम, ग्राम माजरा निकट हिल्टन स्कूल सहारनपुर रोड पर आवासीय भवन में नर्सिंग होम का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपविधियों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा जाँच करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 12 :- सम्पति संख्या-51 (पुराना न0 46/37) रायपूर रोड़ में पेट्रोल पम्प के मानचित्र स्वीकृती के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 13 :- खसरा नम्बर 221, ग्राम पेलियों शिमला रोड में (पेट्रोल पम्प) के मानचित्र के सम्बन्ध में।

पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 14 :- मै0 मालसी स्टेट ग्राम मालसी देहरादून की 26.50 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सहमति प्रकट करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इनके द्वारा 26.50 एकड़ भूमि में से कितनी भूमि का भू-उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओ/संस्थागत उपयोग तथा कितनी भूमि का उपयोग अतिथि सत्कार/पर्यटन भू-उपयोग में किया जायेगा इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय क्रमांक 15:- मौजा सेवलाकलां के खसरा नम्बर-85 (एम) का भू-उपयोग सरकारी / अर्द्ध सरकारी (जी) में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक 16 :- श्री इन्दर सिंह, ओल्ड सर्वे रोड पुराना नम्बर 2 एवं 3 खान बन्धू मार्ग देहरादून की 1.31 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सहमति प्रकट करते हुए निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग से भू-अधिग्रहण के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 17 :- खसरा नम्बरान 325, 343, 368 एवं 378 ग्राम डोम पछवाडून जिला देहरादून के भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत खसरा नम्बरानों का भू-उपयोग वन प्रदर्शित है। आवेदक उक्त खसरा नम्बरानों का भू-उपयोग वन से आवासीय कराना चाहता है। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 18 :- श्री संदीप कंसवाल द्वारा खसरा नम्बर 724 अजबपुर खुर्द हरिद्वार बाईपास रोड पर प्रस्तुत आवासीय मानचित्र के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिये गये कि भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पश्चात् अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कौन कौन से मानचित्र स्वीकृत किये गये। इन प्रकरणों पर यथोचित कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक 19 :- परिचालन के माध्यम से इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेज-प्रथम में श्रीमती आलोक प्रभा शर्मा को आवंटित अतिरिक्त भूमि के मूल्य निर्धारण प्रस्ताव की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

J.

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित प्रारम्भिक दर पर 12 प्रतिशत ब्याज की गणना करते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।



विषय क्रमांक 20 :- लोहियापुरम आवासीय योजना स्थित अलोकप्रिय भूखण्डों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित प्रारम्भिक दर पर 12 प्रतिशत ब्याज की गणना करते हुए पूर्व में पंजीकृत 03 आवेदकों को भूखण्ड आवंटित करते हुए शेष 06 को रिजर्व में रखा जाये।

विषय क्रमांक 21 :- आवंटी श्री रामकृष्ण निर्मल के भवन संख्या-13 भूतल एच0आई0जी0, नेहरूपुरम आवासीय योजना पर आरोपित दण्ड ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री रामकृष्ण निर्मल की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए भवन संख्या-13 भूतल एच0आई0जी0, नेहरूपुरम आवासीय योजना पर आरोपित दण्ड ब्याज माफ करने हेतु बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 22 :- ट्रान्सपोर्टनगर फेस-2 के अन्तर्गत उत्तरांचल परिवहन निगम को भूमि दिये जाने एवं अवशेष भूमि पर आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवहन निगम को दी जाने वाली साढ़े आठ एकड़ भूमि के अतिरिक्त अवशेष 21.5 एकड़ भूमि पर ट्रान्सपोर्टनगर योजना के अन्तर्गत फेस- प्रथम तथा फेस द्वितीय की भूमि को मिलाकर यू0डी0पी0एफ0आई की गाइड लाइन्स के अनुसार जितनी भूमि आवासीय प्रयोग हेतु निर्धारित है, उसे आवासीय प्रयोग में लाया जाये शेष भूखण्ड पर ट्रान्सपोर्टनगर भू-उपयोग से सम्बन्धित कार्यवाही की जाये।

J.



अनुपूरक विषय क्रमांक 1:- श्रीमती अंजू काम्बोज द्वारा खसरां नं० 112/2ए, 109, 110/1 मौजा थानी ग्राम परगना केन्द्रीय दून के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग में नर्सिंग होम हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा सहमति प्रकट करते हुए स्थल की आसपास की स्थिति को एक मानचित्र में दर्शाते हुए प्रस्ताव -शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 2:- बगराल गाँव परगना पछवादून स्थित खसरा नम्बर 234 एम, 235 एम, 236 एम, 237/1एम 240/1, 241, 242/2, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 254/1, 255/1, 256/1, 256/3, 257/1, 260/1, 264 जिसका कुल क्षेत्रफल 1.925 हैक्टर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि ये प्रस्ताव नगर निगम सीमा से बाहर है इसलिये स्थानीय ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त करना ठीक रहेगा। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा नगर निगम सीमा के बाहर के कई भू-उपयोग परिवर्तन के मामले शासन को भेजे हैं। इसलिये बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को भी शासन को प्रेषित किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 3 :-भगवती शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान 5/1 प्लीजेन्ट वैली द्वारा खसरा नम्बर 705, 707, 708, 712, 714, 724, 732, 734, 737, 738, 739/2 व 981, 982, 983, 986, 988, 992, 997, 994/2 ग्राम गल्जवाड़ी, परगना केन्द्रीयदून, जिसका कुल क्षेत्रफल 17077.08 वर्ग मीटर है, का भू-उपयोग कृषि से शैक्षिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।



70 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.08.2006

आज दिनांक 02.08.2006 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. श्री पी0सी0शर्मा, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 3. श्री सुब्रत विश्वास, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
| 4. श्री एन0एन0थपलियाल, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 5. श्री पुनीत कंसल, जिलाधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 6. श्री इन्दुधर वौड़ाई, मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 7. श्री बृज बी0रतन, मुख्य सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल | सदस्य |
| 8. श्री आर0एन0वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम, देहरादून | सदस्य |

S. Subramanian



उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.06 की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः सर्वसम्मति से अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।

विषय क्रमांक 1 :- प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति।

बोर्ड द्वारा वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए भू-अधिग्रहण हेतु कालातीत हो चुके प्रकरणों की धनराशि एस0एल0ए0ओ0 से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 2 :- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में विद्यमान प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/विनियमों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में देहरादून विकास क्षेत्र में प्रचलित भवन उपविधि 2001 में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानीय परिवेश में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण में विद्यमान उपविधियों/विनियमों में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी जिसमें उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्तर से संशोधित बायलॉज प्रस्तावित किये गये। संशोधित बायलॉज के बिन्दु संख्या 3.3.6 के क्रमांक 2 पर अधिकतम आवासीय इकाई 125 प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 100 प्रति हेक्टेयर करने के साथ साथ प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 3 :- ट्रान्सपोर्ट नगर में इन्टीग्रेटेड कामर्शियल काम्पलेक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्टनगर के बाहर एक हेक्टेयर भूमि पर इन्टीग्रेटेड कर्मिशियल काम्पलेक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में यूडेक से Tecno legal services लिये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 4 :- देहरादून शहर की व्यस्ततम राजपुर रोड एवं गॉंधी रोड का Re-Development Plan तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून के अन्तर्गत राजपुर रोड, दर्शन लाल चौक, फालतू लाईन, डिस्पैन्सरी रोड आदि पर स्थित घनी आबादी क्षेत्र में लाल डोरा को चिन्हित करते हुए रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। ताकि इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तक नजूल फ्री-होल्ड की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया एवं रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ऐसी संस्था का चयन किया जाये जिसको इस क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व अनुभव प्राप्त हो।

नकारात्मक शील
का स्वीकृति
याद में लिखें

विषय क्रमांक 5 :- IL&FS द्वारा ग्रेटरदून योजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

IL&FS द्वारा प्रस्तुत अनुबन्धों एवं सुझावों की जाँच करने हेतु प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं विधि विभाग का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। IL&FS द्वारा अनुबन्ध के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिनांक 18.8.2006 को किया जायेगा जिसपर समिति शासन को अपने विचार प्रस्तुत करेगी।

विषय क्रमांक 6 :- सहारनपुर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत मुख्य सहारनपुर रोड पर व्यवसायिक/ कार्यालय भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

3/9
Subm



विषय क्रमांक 7:- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए बायलॉज हेतु 16 प्रपत्रों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की इन 16 प्रपत्रों को, हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हुए, तत्काल लागू करने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 8 :- भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रारूप संख्या-4 पर copy of the project के स्थान पर concept का उल्लेख किया जाये इस निर्देश के साथ प्रस्ताव पर सर्व बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 9 :- ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अधनराशि रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना (फेज-11) के अन्तर्गत विधिक करते हुए पंजीकरणों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया भूमि पर आढ़त बाजार के साथ सड़क विस्तार हेतु प्रभावित दुकानों के दुकानदारों को विस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 10 :- घन्टाघर स्थित दूनमाल योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति का निर्णय।

प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित प्रस्ताव न0-02 (Option अनुसार आर0एफ0सी0गोडाउन एवं निरीक्षण भवन की भूमि राजपुर रोड से दर्शनलाल चौक की तरफ 7.5 मीटर का हिस्सा हुए दो बेसमेन्ट में पार्किंग, स्टेट एम्पोरियम, अरबन हाट ए आदि बनाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी।

4/9

न,
को
या
हे।
की
एवं
स्था
भव

कास

हेतु
का
नसूरी
होगे।
समक्ष
अपने

मुख्य
किये

गयी।



विषय क्रमांक 11 :- खसरा नम्बर 119 मि0, ग्राम माजरा निकट हिल्टन स्कूल सहारनपुर रोड पर आवासीय भवन में नर्सिंग होम का उपयोग करने हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि आवेदनकर्ता बायलॉज के अनुसार समस्त शर्तें पूर्ण करता है तो इनका मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये। - *अन-एग्रीकल एर पर शर्तें शुद्ध कर 50/1*

विषय क्रमांक 12 :- भूमि खसरा नं0-501 मौजा भारूवाला ग्रान्ट देहरादून में 87.79 वर्गमीटर पर निर्मित फुटकर दुकानों की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि आवेदनकर्ता बायलॉज के अनुसार समस्त शर्तें पूर्ण करता है और व्यवसायिक दर पर शमन शुल्क जमा किया गया है तो इनका मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 13 :- मौ0 सैफुल्ला एवं मौ0 आसिफ द्वारा स्थल खसरा नं0 2क, 2ख, 2ग एवं 4क ग्राम मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में गेस्ट हाउस एवं रेस्टोरेंट के निर्माण हेतु मानचित्र संख्या 589/2006-2007 के सम्बन्ध में

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 14 :- कृषि क्षेत्र में सन्त कबीर एजुकेशन सोसाइटी मियावाला के मानचित्र संख्या 825/2005-2006 के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव मानक पूर्ण न होने के कारण सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 15 :- आवासीय आर-2 भू-उपयोग के अर्न्तगत श्री शम्भू आश्रम टस्ट (हरिद्वार) द्वारा खसरा नम्बर 363, 364, 366 निरंजनपुर (6 ए सहारनपुर मार्ग) पर धर्मशाला के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 16 :- ग्राम झाझरा देहरादून की 3.1880 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 17 :- ग्राम सेवलाकलां के खसरा नं० 158 की 1.059 है० भूमि के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 18 :- ग्राम मियांवाला में रिक्त खसरा नं० 615 क जिसके पुराने खसरा नम्बरान 662, 663, 664 एवं 665, रकबा लगभग 3000 वर्ग मीटर का भूउपयोग कृषि से व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 19 :- ग्राम जाखन में स्थित खसरा नम्बरान 52 एवं 55 क्षेत्रफल 2.18 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 20 :- श्री इन्दर सिंह निवासी चॉदमारी रोड डोईवाला देहरादून द्वारा मौजा ईस्टहोप टाउन खसरा नम्बर 1, रकबा 0.121 है० भूमि का भू-उपयोग नदी से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

d.

Subar



विषय क्रमांक 25 :- श्री सुशील कुमार निवासी चॉदमारी रोड डोईवाला देहरादून द्वारा मौजा ईस्टहोप टाउन परगना पछवादून तहसील विकास नगर जिला देहरादून के खसरा नम्बर 1मिन, रकबा 1.21 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 26 :- देहरा कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० की ग्राम सलान केन्द्रीयदून देहरादून में स्थित खसरा नम्बरान 63ए, 63बी, 28, 61मि० 72, 98, 73, 62, 71, 99, 99ई, 70, 103, 93, 95, 69, 101, 113ए, 113बी, 74ए, 65, 74बी, 59/197, 60, 68, 61, 102, रकबा 3.44900 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 27 :- कम्बाइंड मैडिकल इन्स्टीट्यूट 54/55 हरिद्वार रोड में डॉ० आर० के० जैन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं० सी-28/06-07 में विशेष परिस्थितियों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

कम्बाइंड मैडिकल इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत हार्ट एवं न्युरोलॉजी सेन्टर में आपरेशन थियेटर व कार्डिक लैब की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श किया गया । मुख्य नगर नियोजक द्वारा टिप्पणी की गयी कि पूर्व में भी कम्बाइंड मैडिकल इन्स्टीट्यूट को एफ०ए०आर० में छूट दी जा चुकी है । चूंकि स्थल पर पार्किंग मानको के अनुसार उपलब्ध नहीं है अतः भू-स्वामी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि प्रार्थी किसी अन्य स्थल पर मानको के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध करायेंगे एवं भविष्य में सड़क विस्तार होने पर इनके द्वारा निशुल्क भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी ।


उपरोक्त शर्त पूरी करने के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 1753/वी-की अनुमति से आ०/06-123 (आ०)/2006 एवं 1901/वी-आ०/06-12



अन्य विषय

(एल0यू0सी0)/2006 दिनांक 20 जुलाई 06 द्वारा रायपुर के खसरा नम्बर 369, 362में 7.89 एकड़ भूमिपर ग्रुप हाउसिंग की स्वीकृति एवं मौजा तरला नागल परगना परवादून अन्तर्गत खसरा नम्बर 233 एवं 234 के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों के साथ आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत श्रीमती सीमा गोयल के भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों को भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।



(सुब्रत विश्वास)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।



(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।